

21.01.2026 वकिल प्रार्थीगण अग्रुपरिचित | चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत में आवेदन पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। लिटिगेंट प्रार्थीगण का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली कैसल सुमार होकर ट्राइवल इफ्तार हो।

सहायक क्लर्क  
(S.O.) का. गेतरा,